कम्पीटीशन का सामना करना पड़ता है जिसके नतीजे में वे अक्सर अपना कारोबार या अपना पेशा जिसमें उनको महारत होता है या जिसमें उन्होंने तालीम पाई है वह छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। चूंकि मुलाजिमत की तादाद बहुत कम है और सरकार उनको मुलाजमत नहीं दे सकती है तो वे फ़स्ट्रेट होकर मुखतलिफ जराय अख्तियार कर लेते हैं और बद-अमनी के बायस बन जाते हैं। लिहाजा मैं इस्तदा करूंगा कि इस स्कीम पर इस गर्ज से भी अमल किया जाय और ऐसे पढ़े-लिखे नवजवान जो मुखतलिफ इरादों से फारिक होकर मैदाने अमल में आते हैं, इस स्कीम के तहत वे नवजवान अपने पांवों पर खड़े हो सकें। उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाय और जब वह बफजले खुदा अपने कारोबार में मुस्तकम हो जाएं तो उसके बाद वह इसकी अदायगी करें। हमारी रियासत के बीचोंबीच एक हदे मतारकाए जंग गुजरती है। हमारी रियासत का एक तिहाई हिस्सा वेलिजरेंट जम्मू व काश्मीर के कब्जे में है और हमारी रियासत में 22 लाख अफराद उस तरफ है। हमारी रियासत के हदे मतारकए जंग के बीचोंबीच जो लोग रहते हैं या इसके करीब रहते हैं उनको रोजमर्रा दूसरी तरफ से आने वाली गोलियों और दीगर कार्यवाहियों का निशाना बनना पड़ता है। जिसके नतीजे में उनके माल, मवेशी और कुनबे के उन अफराद की जानें चली जाती हैं जो कि कुनबे की परवरिश के बायस होते हैं। आज कल अक्सर फायरिंग के नतीजे में कई घर बेसहारा हो चुके हैं। इस किस्म की हदे मतारकाए जंग जम्मू काश्मीर के दरम्यान रहने वाले गुरबा व मफातियों को कवर करना भी इसी कानून का मकसद होना चाहिए। हमारी रियासत में आर्चर्ड या हार्टीकल्चर एक बहुत अहम कारोबार है लेकिन वहां पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से अक्सर जालाबारी होती है जिसकी वजह से न सिर्फ वहां की फसलात का नुकसान होता है बल्कि जो हमारी रियासत के अन्दर बागात हैं उनमें भी होने वाले फल तबाह और बरबाद हो जाते हैं। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि उन लोगों को जो कि आर्चर्ड और हार्टीकल्चर का काम करते हैं इस किस्म का कवर दिया जाए कि उनके आर्चर्ड भी इसमें आ जायें और वह लोग जो इस कारोबार में मसरूफ है उनके कोई राहत मिल सके। बिलाखिर में यह करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी रियासत के उन लोगों का ताल्लुक है जो प्रीमियम की अदायगी करने से कासिर हैं गवर्नमेंट कानून में तरमीम करके एक ऐसा फण्ड कायम करें कि उनकी तरफ से इसकी अदायगी की जा सके और वह अपने मकानात को जिनकी अतिश्जनी सबसे ज्यादा इलाकाएकाश्मीर में पाई जाती है उसको अजसरेनो तामील कर सके इन मारुजात के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं इसका इस्तकबाल करता हूं और इसको वेलफेयर पोस आफ लेजिस्लेशन तस्सबुर करते हुए इसका समर्थन करता हूं और मैं यह वाहिश जाहिर करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाय और मैं मोदबाना तौर पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिन मुश्कलात और मसायल की तरफ मैंने जनाबेआला की तवज्जो मबजूल की है उनको जैरेगौर लाया जाए।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Mr. Vice-Chairman, I beg to lay on the Table a statement regarding the Second Batch of Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1989-90.

GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL, 1989—*Contd.*

SHRI RAMESHWAR THAKUR (Bihar): Mr. Vice-Chairman, I have great pleasure in supporting the General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 1989. This was one of the Bills which have been pending since the last two Sessions and